अध्याय 6 - निष्कर्ष तथा अनुशंसाएं

6.1 निष्कर्ष

जीओआई ने 01 जनवरी 2004 से एनपीएस का प्रारम्भ किया[54] जिसके अन्तर्गत मूल वेतन व मँहगाई भत्ते का 10 प्रतिशत मासिक अंशदान कर्मचारी द्वारा तथा इतना[55] ही अंशदान केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। अंशदानों और निवेश प्राप्तियों को टीयर-I खाते में जमा किया जाता है। यह भी निर्दिष्ट किया गया था कि परिभाषित लाभ पेंशन और सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) के तत्कालीन विद्यमान प्रावधान केंद्र सरकार की सेवा में नई भर्तियों के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। राज्य सरकारों तथा उनके स्वायत्त निकायों ने भी अपने कर्मचारियों के लिए विभिन्न समयानुसार एनपीएस प्रणाली को अपनाया। एनपीएस के 2004 में लागू होने के 15 वर्षों के बाद सरकार ने 2019 में एनपीएस के कार्यान्वयन को सुप्रवाही बनाने के लिए उपाय किए।[56] हालाँकि, कुछ मुद्दो पर कार्रवाई अभी भी लंबित है या सरकार के विचाराधीन है।

एनपीएस पर निष्पादन लेखापरीक्षा में निम्निलिखित पाये गयेः

- इसका कोई आश्वासन नहीं था कि सभी नोडल कार्यालय (केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्रीय स्वायत्त निकायों और राज्य स्वायत्त निकायों के तहत) एनपीएस के तहत पंजीकृत थे।
- योजना के निर्माण के दौरान, सभी 100 प्रतिशत पात्र कर्मचारियों को योजना में शामिल करने के लिए आवश्यक नियंत्रण परिकल्पित नहीं किये गये थे और एनपीएस के लागू होने के 15 वर्षों के बाद भी सभी 100 प्रतिशत पात्र कर्मचारियों को योजना में शामिल होने के आश्वासन का अभी भी अभाव है।
- ऐसे मामले पाए गए जहाँ प्रैन को जारी करने, एनपीएस अंशदान की पहली कटौती, पीएओ के पास बिल भेजने, एससीएफ अपलोड करने और न्यासी बैंक को अंशदान का प्रेषण करने में देरी पाई गई। हालाँकि, एनपीएस से संबंधित गतिविधियों का समय पर होना सुनिश्चित करने में

---

54 एनपीएस का प्रारम्भ दिनांक 22 दिसम्बर 2003 की अधिसूचना के द्वारा किया गया

55 डीएफएस, जीओआई की दिनांक 31 जनवरी 2019 की अधिसूचना के अनुसार, भारत सरकार द्वारा सह-अंशदान को 14 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है, यह 1 अप्रैल 2019 से प्रभाव में है।

56 डीएफएस, जीओआई की दिनांक 31 जनवरी 2019 की अधिसूचना में अन्य बिन्दुओं के साथ-साथ पीएफ के विकल्प एवं निवेश प्रतिरूप; तथा 2004 से 2012 के दौरान अंशदान न जमा होने अथवा विलंब से जमा होने पर क्षतिपूर्ति का प्रावधान किया गया था।

इस तरह की देरी के लिए सरकारी नोडल कार्यालय (संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों) पर कोई दंडात्मक प्रावधान मौजूद नहीं था। डीएफएस ने सूचित (मई 2020) किया कि एनपीएस अंशदानों को काटने और उसे जमा करने में देरी के लिए सरकारी नोडल कार्यालय पर जुर्माना लगाने के प्रावधान को शामिल करके पीएफआरडीए अधिनियम में संशोधन किया जा रहा है।

- केन्द्रीय सरकार/सीएबी डीडीओ तथा राज्यों/यूटी के डीडीओ ने एनपीएस अपनाने वाले नोडल कार्यालयों से संबंधित क्रमशः ₹5.20 करोड़ तथा ₹793.04 करोड़ की राशि को न्यासी बैंक को प्रेषित नहीं किया था।

- निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के विपरीत जिनके पास निवेश करने में विकल्प उपलब्ध थे, सरकारी कर्मचारों के पास लगभग 15 वर्ष से अधिक समय अर्थात् 01 जनवरी 2004 से 30 जनवरी 2019 तक के लिए पेंशन निधि तथा योजना के चुनाव की कोई स्वतंत्रता नहीं थी।
- जीओआई के सिविल मंत्रालयों से संबंधित 4,130 मामलों में, जहाँ दिनांक 05 मई 2009 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार अतिरिक्त लाभ/राहत दी गई थी, उनमें प्रैन खातों में पड़ी हुई ₹139.95 करोड़ की एनपीएस राशि को अभी तक नोडल कार्यालयों/सरकार को हस्तारित नहीं किया गया है।
- एनपीएस की शुरूआत के 15 वर्षों के बाद भी, एनपीएस में शामिल कर्मचारियों की सेवा शर्तों/सेवानिवृति लाभों के नियमों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।
- विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के तहत आने वाले सभी स्वायत्त निकायों में 1 जनवरी 2004 या उसके बाद नियुक्त किये गये नये लोगों के लिए स्वायत् निकायों में किसी रिकार्ड कीपिंग तथा लेखांकन व्यवस्था के बिना ही एनपीएस को लागू कर दिया गया।
- राज्यों, सीएबी तथा एसएबी के संदर्भ में, पीएफआरडीए ने लीगेसी डेटा को अपलोड करने तथा लीगेसी अंशदान को न्यासी बैंक में हस्तांतरित करने के लिये कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जिसके कारण न्यासी बैंक को समयानुसार स्थानांतरण प्रभावित हुआ। इसके अतिरिक्त, पीएफआरडीए के पास लीगेसी राशि की मात्रा और न्यासी बैंक को इसके हस्तांतरण की स्थिति की कोई जानकारी नहीं थी।

- इस बात का कोई संकेत नहीं था कि (i) निधि/योजना का बीमांकिक मूल्यांकन 2 वर्ष में एक बार किया गया तथा (ii) निधि/योजना की व्यावहारिकता का मूल्यांकन करने के लिए किसी अन्य विधि को अपनाया गया। डीएफएस ने (मई 2020) सूचित किया कि एनपीएस के प्रारम्भ के समय परिकल्पित किये गये लाभों के संबंध में एनपीएस के अन्तर्गत अभी की प्रतिस्थापन दरों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन करने तथा प्रतिस्थापन दर के अधिकतमीकरण व इष्टतम बनाने हेतु उचित कदम उठाने के लिये वह बीमांकिक मूल्यांकन कराना चाहता है।
- 2012-13 तथा 2018-19 के बीच 66-68 मंत्रालय/विभागों में से सभी मंत्रालयों/विभागों ने संयुक्त सचिव, प्रधान सीसीए/सीसीए तथा वित्तीय सलाहकारों की समिति का गठन नहीं किया।
- चूंकि सरकारी नोडल कार्यालयों को मध्यस्थों के रूप में पंजीकृत नहीं किया गया था, इसलिए शिकायतों के निवारण की समय-सीमा के साथ समय पर अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा सका जिसके परिणामस्वरुप वर्ष 2013-14 और 2017-18 के बीच से काफी संख्या में शिकायतें एक या अधिक वर्षों से बकाया थीं।

सरकारों ने अपने कर्मचारियों के लिए एक प्रबुद्ध निर्णय के रूप में एनपीएस की शुरूआत की। मार्च 2018 तक केन्द्र और राज्य स्वायत्त निकायों ने 8.80 लाख अभिदाताओं के अतिरिक्त एनपीएस के तहत केंद्र और राज्य सरकार के 49.21 लाख अभिदाता थे। 2004 में एनपीएस प्रारम्भ किये जाने के 15 वर्षों बाद अभी भी प्रणाली में कमियाँ हैं, जैसा की प्रतिवेदन में उजागर किया गया है। यदि इन कमियों को दूर न किया गया तो एनपीएस विफल हो सकती है। यदि विफलता होती है तो वर्तमान पेंशन देयताओं के साथ-साथ इन अभिदाताओं के लिए सामाजिक सुरक्षा के उपाय के रूप में पेंशन प्रदान करने का दायित्व केंद्र और संबंधित राज्य सरकारों पर होगा जिसके कारण बहुत बड़ा वित्तीय बोझ वहन करना पडेगा।

6.2 अनुशंसाएँ

- *सभी नोडल कार्यालय और पात्र कर्मचारी एनपीएस के तहत पंजीकृत हों, यह सुनिश्चित करने हेतु एक दोष रहित प्रणाली को स्थापित करने की आवश्यकता है। आंतरिक लेखा परीक्षा-तंत्र यह देखे कि सभी कर्मचारी प्रणाली में सम्मिलित हों। इसे सुनिश्चित करने के लिये विलम्ब पर दंड*

दिये जाने तथा क्षतिपूर्ति प्रदान किये जाने की आवश्यकता है जिससे कि अभिदाता को हानि न हो।

- *सरकार सुनिश्चित कर सकती है कि सरकारी क्षेत्र के एनपीएस लाभार्थियों के सेवा मामलों से संबंधित नियमावली निर्मित की जाए।*
- *सरकार को उन सारे प्रकरणों को चिन्हित करना चाहिये जिनमें लीगेसी अंशदानों को न्यासी बैंक को प्रेषित नहीं किया गया और यह सुनिश्चित करे कि इसे देय ब्याज व क्षतिपूर्ति के साथ अभिदाता को प्रेषित किया जाए जिससे कि उसे हानि न हो।*
- *पीएफआरडीए अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में, अभिदाताओं की सेवानिवृत्ति पश्चात् सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु एमएआरएस प्रदान करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।*
- *डीएफएस वार्षिकी दरों, लम्बी अवधि तथा ब्याज दरों पर विचार करते हुए न्यूनतम प्रतिस्थापन दर की गणना करे।*
- *डीएफएस सुनिश्चित करे कि पीएफआरडीए अधिनियम में किया जा रहा संशोधन स्पष्ट रुप से प्रत्येक स्तर पर (जैसा कि वे कर्मचारी भविष्य निधि तथा विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 में कर्मचारियों के लिये है) जिम्मेदारी, जवाबदेही और देरी के लिए दंड को परिभाषित करे ताकि यह सुनिश्चित हो कि एनपीएस के अभिदाताओं का अंशदान न्यासी बैंक को भेजा गया है और निर्धारित समय के भीतर अभिदाता के प्रैन में जमा किया गया है।*
- *पीएफआरडीए को तत्पश्चात् अतिरिक्त राहत प्रदान किये जाने वाले प्रकरणों को सीआरए प्रणाली में चिन्हित करना चाहिए ताकि वार्षिकी सेवा प्रदाता या अभिदाता/परिवार के सदस्यों को किसी राशि के भुगतान से बचा जा सके। पेंशन का भुगतान करने वाले प्राधिकारी को नोडल कार्यालय से इस तथ्य की एनओसी प्राप्त करनी चाहिए कि दावेदार को एनपीएस के अन्तर्गत पेंशन स्वीकृत नहीं की गई है। सरकार अतिरिक्त राहत का लाभ प्राप्त कर चुके अभिदाता/पारिवारिक सदस्यों को पहले ही एनपीएस निधि या एनपीएस खाते से कर दिये गये भुगतान की वसूली करने के लिये तुरन्त कदम उठाए।*

- *प्रतिवेदन में लेखापरीक्षा परिणाम नमूनों की जाँच पर आधारित हैं। केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें सम्पूर्ण एनपीएस संरचना में इस तरह के प्रकरणों को चिन्हित कर सकती हैं एवं कार्यान्वयन में कमियों की मात्रा ज्ञात करके उस पर सुधारात्मक कार्रवाई कर सकती हैं।*

नई दिल्ली
दिनांक: 4 अगस्त 2020

(शुभा कुमार)
उपनियंत्रक महालेखापरीक्षक (वाणिज्यिक)
एवं अध्यक्षा, लेखापरीक्षा बोर्ड

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 4 अगस्त 2020

(राजीव महर्षि)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक